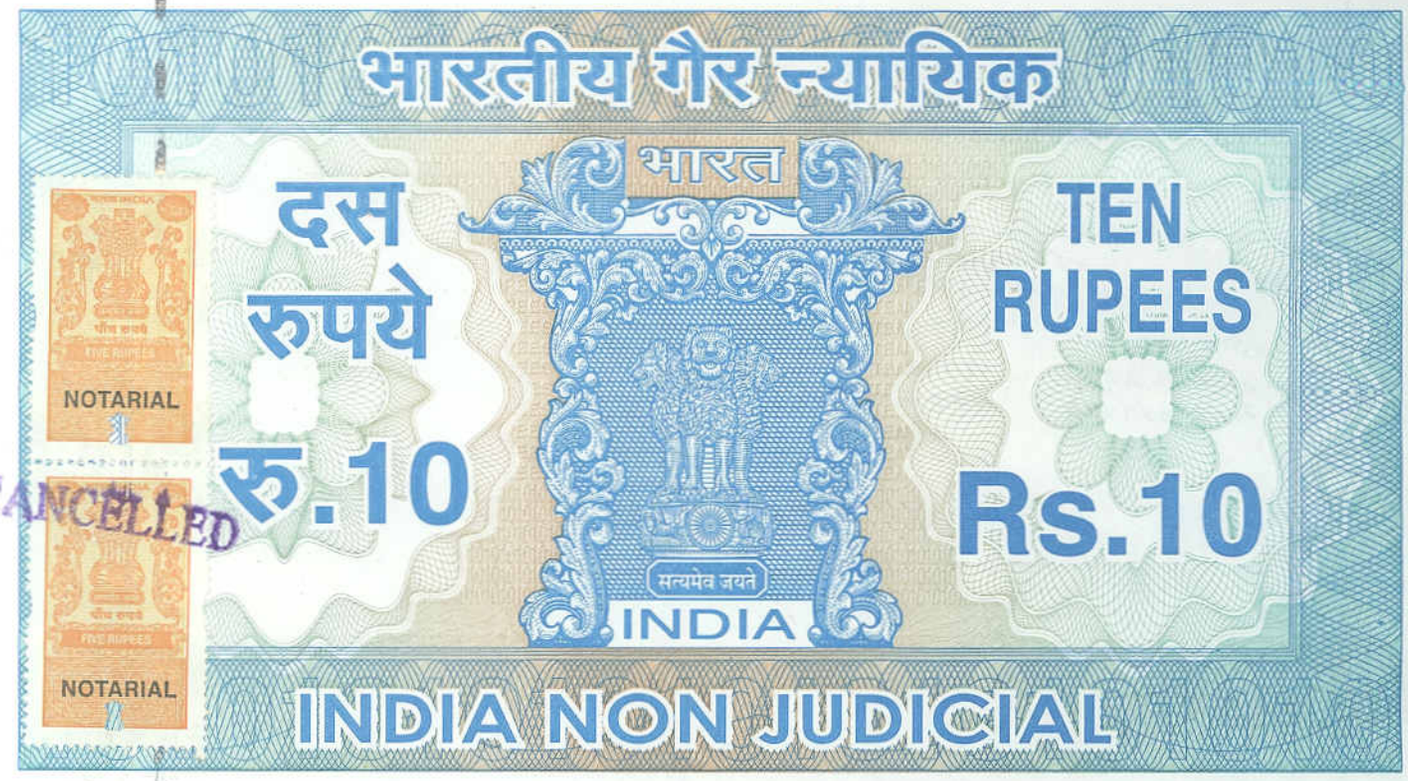

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

CANCELLED

NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 520097

समक्ष- निर्वाचनअधिकारी,
खण्डस्नातक: शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
वाराणसी ।

शपथपत्र-

शपथपत्र द्वारा कृष्णानन्द पुत्र स्व0 राजअवध उर्फ रामअवध नि0 ग्राम- ऐढ़े पो0 लमहीं थाना कैंट जिला वाराणसी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है:-

1- यह कि शपथकर्ता उपरोक्तपते का निवासी है और यह शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा है ।

2- यहकि शपथकर्ता के विरुद्ध किसी न्यायालय में या किसी थाने में अपराध से सम्बन्धित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और नही शपथकर्ता काकोई आपराधिक इतिहास है ।

3- यहकि शपथकर्ता के नाम से सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है ।

4- यहकि शपथकर्ता भारतीय नागरिकहै सामान्य जातिका सदस्य है ।

सत्यापन-

मै कि शपथकर्ता उपरोक्त सत्यापितकरता हूँ कि कुल मजमून हलफनामा हाजा पैराएकलगायत चारमेरी निजी जानकारीमें सब सच व सहीहै इबारत तसदीक बमुकाम कलक्टरी कचहरी वाराणसी ।

दिनांक- 01•03•2014 ई0

शपथकर्ता-

प्ररूप–26

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 4क देखिये)

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

वाराणसी स्नातक ....निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

....................(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

मैं कृष्णानन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी राजअवध उर्फ रामअवध आयु 38 वर्ष जो ग्राम ऐढ़े पो. लमही जिला वाराणसी (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1. मैं कृष्णानन्द पाण्डेय ~~स्नातक~~ ~~(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/~~ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

2. मेरा नाम कृष्णानन्द / शिवपुर विधानसभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 23 के क्रम सं0 238 पर प्रविष्ट हैं।

3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 9839404041 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) krishna14676@gmail.com है।

4. स्थायी लेखा सख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क0सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं कृष्णानन्द	AMTPP6496L	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी शिल्पा पाण्डेय	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित–1 कु० शिवानी पाण्डेय	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित–2 कु० साक्षी	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित–3 युवराज पाण्डेय	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Distt. VARANASI
Regd. No. 2913
GOVT. OF INDIA

Contd-5

5 मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	112/07 धारा 143, 323, 504, 452, 506 IPC थाना - शिवपुर 120 - वाराणसी
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	धारा 143, 323, 504, 506, 452 IPC
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	[illegible]
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित हैं/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	लागू नहीं होता

6- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादिष्ट दिया गया है/नहीं दिया गया है लागू नहीं होता

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा करावास का दण्डादेश दिया गया है लागू नहीं होता

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दण्ड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि [...] अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Distt. VARANASI
Regd. No. 2913
GOVT. OF INDIA

7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

अ– जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण–1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण–2 जमा / विनिधान की दशा मे कम सं0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण–3 सूचीवद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीवद्ध कम्पनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण–4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण–5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र0 सं0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी के नाम	आश्रित–1 के नाम	आश्रित–2 के नाम	आश्रित–3 आदि के नाम
(i)	हाथ में नकदी	पांच हजार	दो हजार	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	50367533 रिलायन्स लाइफ इन्शोरेन्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियो से अन्य प्राप्य तथा रकम	बजाज मोटर फाइनेन्स 40,000।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वोट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम) मोटर साइकिल	एक स्प्लेन्डर UP72A 6127 UP65BG 8902	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोने की चैन 20ग्रा.	सोने की हार 80 ग्रा. तथा सोने की चैन	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसेकि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	250,000	150,000/–	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY KAMLESH SINGH Advocate Distt. VARANASI Regd. No. 2913 GOVT. OF INDIA

(ब) स्थावर आस्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण–1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण–2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0 सं0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी के नाम	आश्रित–1 के नाम	आश्रित–2 के नाम	आश्रित–3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियॉ) सर्वेक्षण सं0 (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, स्वनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर–कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियॉ) सर्वेक्षण सं0 (संख्याएं)	आवादी में मकान मौजा ऐढ़े परगना (शिवपुर) तहसील सदर वाराणसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	2500 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत आई सम्पत्ति है? (हॉ या नहीं)	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं	हाँ 29-06-2010	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	दस लाख रुपया	~~शून्य~~ दो लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY KAMLESH SINGH Advocate Distt. VARANASI Regd. No. 2913 GOVT. OF INDIA

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थियॉ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियॉ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए) सर्वेक्षण सं0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Distt. VARANASI
Regd. No. 2913
GOVT. OF INDIA

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसेकि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8– मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शेध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र0 सं0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी के नाम	आश्रित–1 के नाम	आश्रित–2 के नाम	आश्रित–3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धन कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
3/3/14
KAMLESH SINGH
Advocate
Distt. VARANASI
Regd. No. 2913
GOVT. OF INDIA

	सेवा कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यो का कुल योग–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हॉं तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9– वृत्ति या उपजिविका के ब्यौरे :

क. स्वयं समाज सेवा

ख. पति या पत्नी गृहणी

10– मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :– स्नातक

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सन 1999 से 2000 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

KAMLESH SINGH
Advocate
Distt. VARANASI
Regd. No. 2913

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्क्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

11– भाग–क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण :

1	अभ्यर्थी का नाम कृष्णा नन्द पाण्डेय	श्री/श्रीमती/कुमारी राम अवध पाण्डेय
2	डाक का पूरा पता ग्रा. रोहे पोस्ट- लमही जिला वाराणसी	
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य रोहनिया विधान सभा में	भाग संख्या 23 क्रम सं. 238
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5	(क) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	एक जो पश्चम ए०सी० जे०एम० वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या 2055/2012 प्रचलित है।

[signature]

	(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न	एक उपरोक्त
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं होता

7.		...... का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क)	अभ्यर्थी	AMTPD6496L	2004 - 2005	183798
(ख)	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य
(ग)	आश्रित	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

		विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क		जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	दो लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
ख		स्थावर आस्तियाँ	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	दो लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	क्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		.... की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	दो लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
	(क)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व :						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	30,160/= मोट[illegible] हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	उपरोक्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY KAMLESH SINGH Advocate Distt. VARANASI Regd. No. 2913 GOVT OF INDIA

11 उच्चतम शैक्षिक अर्हता : स्नातक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तीर्ण वर्ष सन 2000

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

NOTARY GOVT. OF INDIA KAMLESH SINGH Advocate Distt. VARANASI Regd. No. 291

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

क– मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

ख– मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग–क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं हैं।

आज तारीख 03/3/14 का सत्यापित किया गया।

Solemnly affirmed before me today at by the deponent identified by S.K. Mishra
The contents of the affidavit were read over the deponent who verified matter to be true

KAMALESH SINGH
Notary

अभिसाक्षी

टिप्पण:

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथकमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।